(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 718–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद प्रकरण कमांक 17/2014–15/अपील.

.....

रामशंकर पुत्र मिश्रीलाल (मृतक वारिसान :–)
1–भगवती बाई बेवा स्वर्गीय रामशंकर
2–पूजाबाई पुत्री स्वर्गीय रामशंकर
3–शिवम पुत्र स्वर्गीय रामशंकर
4–सोनाबाई पत्नि मिश्रीलाल
सभी निवासी ग्राम बैडी,
तहसील हरदा जिला हरदा

..... आवेदकगण

विरूद्ध

प्रभुदयाल पुत्र रामाधार सारंग
निवासी ग्राम बैडी,
तहसील हरदा जिला हरदा

..... अनावेदक

.....

श्री दीपक मिश्रा, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री अंसार उल हक, अभिभाषक–अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 15/2/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक प्रभुलाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हरदा के समक्ष संहिता की धारा 181, 182 के अन्तर्गत इस

आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बैडी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 107/3 रकबा 15.20 एकड़ का पटटा चम्पालाल को दी गई थी, और उसके द्वारा कृषि कार्य नहीं कर प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय आवेदक रामशंकर को कर दिया गया । अतः पटटे की शर्तो का उल्लघंन होने से चम्पालाल को दिया गया पटटा दिनांक 4–1–1966 निरस्त किया जाये साथ ही विक्रय दिनांक 7–5–1975 भी निरस्त किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित की जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 425/बी–121/07–08 दर्ज कर दिनांक 11–10–12 को आदेश पारित किया जाकर अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 25–11–14 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–12–15 को आदेश पारित किया जाकर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की गई तथा कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रकरण भेजा गया कि वह ग्राम बैडी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 107/3 रकबा 15.20 एकड़ में से 1.91 एकड़ भूमि अनावेदक के हक में छोड़कर शेष भूमि का सीमांकन कराया जाकर विधिसंगत आदेश पारित करें । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि का पटटा चम्पालाल को दिनांक 4–1–1966 को मिला था एवं उसके द्वारा भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त होने के पश्चात् वर्ष 1975 में प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय किया गया है इसलिये विक्रय की शर्तो का उल्लघंन नहीं हुआ ।

(2) चम्पालाल को मिले पटटे के संबंध में पूर्व में शिकायत की गई थी और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/बी–121/1976–77 दर्ज कर जॉच उपरांत दिनांक 4–2–1985 को आदेश पारित कर शर्तो का उल्लंघन नहीं माना गया है ।

(3) अनावेदक को कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन नहीं किया गया है केवल तहसीलदार को निर्देश दिये गये हैं । यदि प्रश्नाधीन भूमि पर रामाधार का कुआं है अथवा कोई स्थायी संरचना है तो पहुॅचने के लिये रास्ते का व्यवस्थापन किया जाये ।

(4) संहिता की धारा 181 एवं 182 इस प्रकरण में लागू नहीं होती है क्योंकि संहिता की धारा 181 एवं 182 संहिता के पूर्व दिये गये शासकीय भूमि के पटटे के संबंध में लागू होती है ।

(5) अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया और व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 28–1–2017 को आदेश पारित कर अनावेदक का वाद निरस्त किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धकारी है अतः अपर आयुक्त द्वारा 1.91 एकड़भूमि छोड़कर शेष भूमि के सीमांकन करने के आदेश देने में विधि की गंभीर भूल की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर्वे नम्बर 107/3 के रकबा 1.91 हेक्टेयर का व्यवस्थापन वर्ष 1964 में कलेक्टर द्वारा दिया गया है एवं तब से निरन्तर उक्त भूमि पर अनावेदक का कब्जा चला आ रहा है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अनावेदक की भूमि छोडकर शेष भूमि का सीमांकन किये जाने के आदेश देने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय व्यवहार न्यायालय में वाद लंबित है और माननीय उच्च न्यायालय में द्वारा अनावेदक के पक्ष में स्थगन दिया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आज भी अनावेदक का कब्जा चला आ रहा है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पटटे की शर्तो के उल्लघंन संबंधी प्रकरण प्रचलित होकर अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी

के आदेश की पुष्टि कलेक्टर द्वारा की गई है, अतः अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त संहिता की धारा 49 में हुये संशोधन के फलस्वरूप अपीलीय प्राधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने की अधिकारिता नहीं रह गई है इसलिये भी अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । चूँकि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में माननीय व्यवहार न्यायालय में वाद लंबित है अतः यह न्यायोचित होगा कि अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण में तहसीलदार को निर्देश दिये जाये कि सर्वे कमांक 107/3 रकबा 15.20 एकड़ में से अनावेदक के कब्जे की भूमि 1.91 एकड़ को छोड़कर शेष भूमि का सीमांकन कर विधिवत् कार्यवाही करें।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण में तहसीलदार को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर